



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25082022-238379
CG-DL-W-25082022-238379

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 14—अगस्त 20, 2022, शनिवार/श्रावण 23—श्रावण 29, 1944
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 14—AUGUST 20, 2022, SATURDAY/SRAVANA 23—SRAVANA 29, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 110.— रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (1975 की संख्या 22) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा भर्ती नियमावली 2002 और 2011 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : —

- (i) इन नियमों का नाम रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा भर्ती नियमावली, 2022 होगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग :—ये विनियम रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड, रामपुर के अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

बशर्ते कि ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे- :

- (i) जो बोर्ड द्वारा पूर्णकालिक रूप से नियोजित नहीं हैं;
- (ii) जो दैनिक मजदूरी पर नियोजित किए गए हैं;
- (iii) जिनकी सेवाओं को सरकारी कार्यालय से या संस्थान से उधार के रूप में लिया गया है, जब तक कि संबंधित व्यक्ति, ऋणदात्री प्राधिकारी के अनुमोदन से, इन विनियमों द्वारा शासित होने का विकल्प न दे।
- (iv) जो सेवा के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों को शामिल करने वाली विशेष संविदाओं द्वारा शासित हैं, जब तक कि संबंधित व्यक्ति इन विनियमों द्वारा शासित होने का विकल्प न दे।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि किसी परिप्रेक्ष्य में अन्यथा अपेक्षित हो;

- (क) "अधिनियम" का अर्थ रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (1975 की संख्या 22) है;
- (ख) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी" का अर्थ है विनियम के तहत नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी;
- (ग) "बोर्ड" का अर्थ है रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड;
- (घ) "अध्यक्ष" का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष;
- (ङ.) "निदेशक" का अर्थ है पुस्तकालय का निदेशक;
- (च) "सरकार" का अर्थ है भारत सरकार।

अनुसूची

पद का नाम	पद (पदों) की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक	1 * (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	लेवल-14 (144200- 218200/- रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष, रामपुर रज़ा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : i) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में कार्यरत ऐसे अधिकारी - (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (123100-215900/- रु.) के वेतनमान में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो; या iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (78800-209200/- रु.) के वेतनमान में या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो। (ख) निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखने वाले : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री ; (ii) सदृश पुस्तकालय, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षण या अनुसंधान या प्रशासन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ; (iii) अरबी या फारसी या उर्दू या इस्लामिक अध्ययन या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध विद्वान हो।

		(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपर्युक्त विषयों या क्षेत्रों में से किसी में पी.एच.डी. की डिग्री। टिप्पण: (i) प्रतिनियुक्ति के लिए आयु सीमा (अल्पावधि संविदा सहित) 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (ii) आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की सामान्य अंतिम तारीख होगी। (iii) निदेशक, आरआरएल के पद पर पदधारी की अधिकतम अनुमेय आयु 60 वर्ष होगी। (iv) चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अर्हता या अनुभव में छूट दी जा सकती है। (v) प्रतिनियुक्ति की अवधि, उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, साधारणतः 7 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

यदि खोज-सह-चयन समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
खोज-सह-चयन समिति जिसमें शामिल हैं : (i) अध्यक्ष, रामपुर रज़ा पुस्तकालय बोर्ड ; (ii) भारत सरकार का नामिति ; (iii) रामपुर रज़ा पुस्तकालय बोर्ड द्वारा नामित सदस्य ; (iv) रामपुर रज़ा पुस्तकालय बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित विशेष से संबंधित विशेषज्ञ ; (v) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को अध्यक्ष रामपुर पुस्तकालय बोर्ड द्वारा मनोनीत किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	एक*(2022) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता	लेवल-11 (67700-	चयन पद

	पर परिवर्तन किया जा सकता है	208700/- रुपए)	
--	-----------------------------	-------------------	--

(6)	(7)	(8)
40 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अरबी या फारसी या उर्दू या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री। (iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी पुस्तकालय में पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय : i. (i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में पुस्तकालयी कार्यकलापों को कम्प्यूटरीकृत करने का एक वर्ष का अनुभव। (ii) कैटालॉगिंग या पांडुलिपि विज्ञान प्रकाशन में एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	आयु – नहीं। शैक्षिक योग्यता – जी नहीं, लेकिन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री रखते हो।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने की स्थिति में, सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति इस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा और स्तम्भ 8 के अनुरूप अर्हता रखने वाले, वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44990-142400/- रुपए) में और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

		केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत वे अधिकारी- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल-7 (44900-142400/- रुपए) या समकक्ष में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता/अनुभव रखते हों। टिप्पण : 1. फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 2. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) इस आवेदन की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य चयन समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या उनके नामिती – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य - सदस्य (iv) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से	लागू नहीं होता।

सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य	
(v) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	- सदस्य	
(vi) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी	- सदस्य सचिव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	लेवल-7 (44900-142400/- रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बैचलर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अरबी या फ़ारसी या उर्दू या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री। (iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा	आयु - नहीं। शैक्षिक योग्यता - नहीं, परन्तु पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री रखते हों।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने की स्थिति में, सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा और स्तम्भ 8 के अनुरूप अर्हता रखने वाले, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (35400-112400/- रुपए) में और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत वे अधिकारी- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल-6 (35400-112400/-रुपए) या समकक्ष में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता/अनुभव रखते हों। टिप्पण : - फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। - प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) इस आवेदन की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। - इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

चयन समिति जिसमें शामिल हैं -		
(i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य	- अध्यक्ष	
(ii) भारत सरकार का नामिती	- सदस्य	
(iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य	
(iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी	- सदस्य सचिव।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. पुस्तकालय एवं सूचना सहायक।	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	लेवल-6 (35400-112400/- रु.)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अरबी या फ़ारसी या उर्दू या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्नातक की डिग्री। (iii) केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत पुस्तकालय में 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1: योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर उन उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती हैं जो अन्यथा रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए योग्य हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति	लागू नहीं होता।

	और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के मामले में छूट दी जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी चरण में, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उम्मीदवारों के पर्याप्त सदस्य अपेक्षित अनुभव संसाधित करने वाले इन समुदायों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
चयन समिति जिसमें शामिल हैं – (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती – सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य सचिव।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. वरिष्ठ तकनीकी पुनर्स्थापक	2* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	लेवल-6 (35400-112400/- रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)
35 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)।	अनिवार्य: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। ii) केन्द्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन में पांडुलिपियों, लघु चित्रों, संग्रहालय कलाकृतियों के संरक्षण में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, मिश्रित धातु, सिलिकेट के विश्लेषण का अनुभव, कीटनाशकों, कवकनाशी, धूमकों का ज्ञान।	आयु- नहीं। शैक्षिक योग्यता – नहीं

टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	वांछनीय : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।	
---	---	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने की स्थिति में, सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा और स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हता धारण करने सहित वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (29200-92300/- रुपए) में तकनीकी पुनर्स्थापक के पद से। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत वे अधिकारी- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल-5 (29200-92300/-रुपए) या समकक्ष में तकनीकी पुनर्स्थापक के ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता या अनुभव रखते हों। टिप्पण : 1. फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति

		में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 2. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) इस आवेदन की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं – (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य । चयन समिति जिसमें शामिल हैं – (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य सचिव ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. प्रधान लिपिक	1* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	लेवल-5 (29200-92300/- रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	इस ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित उच्च श्रेणी लिपिक लेवल-4 (25500- 81100/- रुपए) से ।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं – (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती – सदस्य (iii) राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश का एक अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. तकनीकी पुनर्स्थापक	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	वेतन लेवल-5 (29200 - 92300 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	अनिवार्य : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातक डिग्री।	लागू नहीं होता

कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	ii) सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन में पांडुलिपियों, लघु चित्रों, संग्रहालय कलाकृतियों के संरक्षण में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से कला वस्तुओं के जीर्णोद्धार और संरक्षण में प्रमाणपत्र।	
--	--	--

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
चयन समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामित – सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य सचिव ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. प्रवर श्रेणी लिपिक ।	1* (2022) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता	लेवल-4 (25500- 81100/-रुपए)	चयन पद

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।		
--	------------------------------	--	--

(6)	(7)	(8)
27 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य : i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री। ii. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिंदी टाइपिंग में प्रवीणता। वांछनीय : कंप्यूटर प्रचालन में कम से कम तीन महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।	शैक्षिक योग्यता- जी हां। आयु - नहीं।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष। पदोन्नति के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने की स्थिति में, सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति इस ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित अवर श्रेणी लिपिक लेवल-2 (19900-63200/- रुपए) से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत वे अधिकारी- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन लेवल-2 (19900-63200/- रुपए) या समतुल्य में अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो या समकक्ष; और (ख) जो स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता या अनुभव रखते हों।

		टिप्पण : 1. फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 2. प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) इस आवेदन की प्राप्ति की सामान्य अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं – (i) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – अध्यक्ष (ii) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती - सदस्य। चयन समिति जिसमें शामिल हैं – (i) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – अध्यक्ष (ii) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती – सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाना - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. पुस्तकालय लिपिक	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	लेवल- 2 (19900-63200 रुपए)	चयन पद

(6)	(7)	(8)
27 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 । (ii) पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : कम्प्यूटर और उर्दू भाषा का ज्ञान।	आयु- नहीं । शैक्षिक योग्यता - जी हां।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित पुस्तकालय परिचर की प्रोन्नति।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं - (i) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी - अध्यक्ष (ii) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती - सदस्य चयन समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य - अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ - सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी - सदस्य सचिव ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. अवर श्रेणी लिपिक ।	2* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	लेवल-2 (19900-63200/- रुपए) ।	अचयन पद

(6)	(7)	(8)
27 वर्ष से अधिक नहीं । (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता। (ii) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति । वांछनीय : i) कंप्यूटर प्रचालन में कम से कम तीन महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।	शैक्षिक योग्यता— जी, हां। आयु— नहीं।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	i. 85% सीधी भर्ती द्वारा । ii. 15% वेतन लेवल-1 के उन स्टाफ कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों और जिन्होंने इस ग्रेड में 3वर्ष की नियमित सेवा की हो।	प्रोन्नति लेवल-1 (18000-56900/- रुपए) में पदधारण करने वाले वे स्टाफ कर्मचारी जो सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों और जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं - i. निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी - अध्यक्ष ii. जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती - सदस्य। चयन समिति जिसमें शामिल हैं - (i) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी - अध्यक्ष (ii) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती - सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाना - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. पुस्तकालय परिचर	6*(2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन लेवल-1 (18000-56900 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
चयन समिति जिसमें शामिल हैं - (i) बोर्ड द्वारा अपने में से मनोनीत सदस्य – अध्यक्ष (ii) भारत सरकार का नामिती - सदस्य (iii) चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से सहयोजित किए जाने वाले विषय के विशेषज्ञ – सदस्य (iv) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – सदस्य सचिव	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. एमटीएस	9* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	लेवल- 1 (18000-56900 रु.) ।	लागू नहीं होता

(6)	(7)	(8)
18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी या अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष ।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
चयन समिति जिसमें शामिल हैं –	लागू नहीं होता।
(i) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी – अध्यक्ष	
(ii) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर के एक नामिती – सदस्य	
(iii) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाना – सदस्य।	

[फा. सं. 26-4/2020-लाइब्रेरी]

उमा नन्दूरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 17th August, 2022

G.S.R. 110.— In exercise of the powers conferred by section 28 of the Rampur Raza Library Act, 1975 (22 of 1975) and in supersession of the Rampur Raza Library Service Recruitment Rules, 2002 and the Rampur Raza Library Service Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Rampur Raza Library Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Rampur Raza Library Service Recruitment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.—These regulations shall apply to all employees under Rampur Raza Library Board, Rampur: Provided that they shall not apply to persons -

- not in whole -time employment of the Board ;
- employed on daily wages;
- whose services have been borrowed from Government Office or from the Institutions, unless the concerned persons, with approval of the lending authority, opts to be governed by these regulations;
- who are governed by special contracts with contain specified terms and conditions of service unless the concerned person opts to be governed by these regulations.

3. Definitions. – In these regulations unless the context otherwise requires,—

- “Act” means the Rampur Raza Library Act, 1975(22 of 1975);
- “Appointing Authority” in relation to any post means the authority competent to make appointment under regulation;
- “Board” means the Rampur Raza Library Board;
- “Chairman” means the Chairman of the Board;
- “Director” means the Director of the Library;
- “Government” means the Government of India.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post on non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Director	1* (2022) *Subject to	Not applicable.	Level -14 (Rs. 144200- 218200).	Not applicable

	variation dependent on workload.			
--	----------------------------------	--	--	--

Age - limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Deputation (including short term contract) for three years or may be extended up to seven years by Chairman, Rampur Raza Library Board with the approval of Ministry of Culture, Government of India.	Deputation (including short term contract): Officers of the Central or State Government or statutory or autonomous organisations funded by Central or State Government or Universities or recognised research institutions – (a) (i) Holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; (ii) with two years service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post of level 13 (Rs.123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment there on regular basis in post in level 12 (Rs. 78800 - 209200) or equivalent in the parent cadre or department. (b) possessing the qualifications and experience: (i) Master's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; (ii) At least ten years experience of teaching or research or administration in a comparable library, university or recognised teaching institution ; (iii) A renowned scholar of Arabic or Persian or Urdu or Islamic Studies or Medieval Indian History; (iv) Degree of Ph.D. in any of the above subjects or fields from a recognised university. Note: - The age - limit for deputation (including short term contract) shall not exceed fifty six years. - The crucial date for determining the age - limit shall be the normal closing date for receipt of application from the candidates in India. - The maximum permissible age upto which the incumbent can hold the post of Director, Rampur Raza Library shall be sixty years.

		4. The qualification or experience can be relaxed on the basis of recommendation of the selection committee. 5. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall not ordinarily exceed seven years.
--	--	--

If Search-cum-Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Search-cum-Selection Committee consisting of – (i) Chairman, Rampur Raza Library Board – Chairperson (ii) a nominee of Government of India - Member (iii) a person to be nominated by the Rampur Raza Library Board amongst themselves - Member (iv) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Rampur Raza Library Board - Member (v) an Officer of Governor's Secretariat, Uttar Pradesh, to be nominated by the Chairman, Rampur Raza Library Board - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Library and Information Officer	1*(2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-11 (Rs. 67700-208700)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not exceeding forty years. (Relaxable for Government servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age - limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi	Essential: (i) Master's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute ; (ii) Master's Degree in Arabic or Persian or Urdu or Medieval Indian History from a recognised university or institute; and (iii) Five years professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research/educational institution. Desirable: (i) One year experience of computerising Library activities in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research/educational institution. (ii) One year professional experience in the cataloguing or manuscriptology or publication. (iii) Diploma in computer applications from a recognised university or institute.	Age – No Education qualification: No, but must possess Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute.

Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).		
---	--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract) and failing both, by direct recruitment.	Promotion Assistant Library and Information Officer in pay matrix in level-7 (Rs. 44900-142400) with seven years regular service in the grade possessing qualification as in column (8) and successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science. Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Government or Union territories or public sector undertaking or autonomous organisations- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with seven years regular service in the grade of Assistant Library and Information Officer in pay level-7 (Rs. 44900-142400) or equivalent; and (b) possessing educational qualification or experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note: 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. 2. The maximum age - limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the normal closing date of receipt of application. 3. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall not ordinarily exceed four years.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) an officer of the Governor's Secretariat, Uttar Pradesh, to be nominated by the Chairman – Member (iv) Director or in his absence, an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member. Selection Committee consisting of – (i) Chairman/Vice Chairman of Board or his nominee – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Member (iv) an expert on the subject to be co-opted with the	Not applicable.

approval of the Chairman of the Selection Committee	– Member	
(v) an Officer of Governor's Secretariat, Uttar Pradesh, to be nominated by the Chairman	- Member	
(vi) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act	- Member Secretary.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Library and Information Officer	2* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-7 (Rs. 44900-142400)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants or Schedule Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age - limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential : (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute ; (ii) Master's degree in Arabic or Persian or Urdu or Medieval Indian History from a recognised university; (iii) two years professional experience in a Library under Central or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research/educational institution. Desirable: (i) Master's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute. (ii) Diploma in Computer applications from a recognised university or institute	Age – No Educational Qualification – No, but must possess bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute.

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract) and failing both, by direct recruitment.	Promotion Library and Information Assistant in the pay matrix in level-6 (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade possessing qualification as in column (8) and successfully completed training of four weeks in the field of Library and Library Science. Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Government or Union territories or public sector undertaking or autonomous organisations- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years regular service in the grade of Library and Information Assistant in pay level-6 (Rs.35400-112400/-) or equivalent; and (b) Possessing educational qualification or experience prescribed for direct recruitment under column (7).

		Note: 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. 2. The maximum age - limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the normal closing date of receipt of application. 3. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall not ordinarily exceed four years.
--	--	--

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves - Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) an officer of the Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by Chairman – Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act - Member. Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member; (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee - Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Library and Information Assistant.	2* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servant or Schedule Caste or Schedule Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age – limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; (ii) Bachelor's degree in Arabic or Persian or Urdu or Medieval Indian History from a recognised university; and (iii) two years professional experience in a Library under Central or State Government, autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research or educational institution.	Not applicable

(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Desirable: Diploma in computer application from a recognised university or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at an discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded. Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate belonging to Scheduled caste and Scheduled tribe if, any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient member of candidates from these communities processing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee - Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Senior Technical Restorer	2* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty five years. (Relaxable for Government Servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with instruction or orders issued by the Central Government) Note: the crucial date for determining the age shall be the normal closing date for receipt of application from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands and Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential: (i) Master's degree in chemistry from a recognised university. (ii) At least five years experience of working in conservation of manuscripts, miniature paintings, museum artifacts, experience of analysis of alloys, silicate and knowledge of insecticides, fungicides, fumigant in Central or State Government or recognised institution.	Age- No Education qualification – No

	Desirable: i) Degree or Diploma in Museology from a recognised university or institution.	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
Two Years for direct recruit.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract) and failing both, by direct recruitment.	Promotion: Technical Restorer in the pay matrix in level-5 (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade possessing qualification as in column (7). Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Government or Union territories or public sector undertaking or autonomous organisations - (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade of Technical Restorer in pay matrix in level-5 (Rs. 29200-92300) or equivalent; and (b) Possessing educational qualification or experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note: 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. 2. The maximum age - limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the normal closing date of receipt of application. 3. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall not ordinarily exceed four years.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves - Chairman (ii) a nominee of the Govt. of India – Member (iii) an officer of the Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by Chairman – Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act - Member. Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member; (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee - Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Head Clerk	1* (2022) * Subject to variation dependent on workload	Not applicable	Level-5 (Rs. 29200-92300)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	By promotion	Upper Division Clerk in the pay matrix in level-4 (Rs. 25500- 81100) with ten years regular service in the grade.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves - Chairman (ii) a nominee of the Govt. of India – Member (iii) an officer of the Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by Chairman – Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Technical Restorer	2* (2022) * Subject to variation depending on workload.	Not applicable	Level-5 (Rs.29200 - 92300)	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential: i) Bachelors Degree in Chemistry from a recognised university or institute. ii) At least five years experience of working in conservation of manuscripts, miniature paintings, museum artifacts in Government recognised institution. Desirable : Certificate in restoration and conservation of art objects from Government recognised institution.	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two Years for direct recruit	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee - Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Upper Division Clerk	1* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not exceeding twenty seven years. (Relaxable for Government servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential: (i) Bachelor degree from recognised university or institution. (ii) Proficiency in English or Hindi typing on computer. Desirable: At least three month certificate course in computer operating.	Educational qualification –Yes Age- No

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruit.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract), failing both by direct recruitment.	Promotion: Lower Division Clerk in the pay matrix in level-2 (Rs. 19900-63200/-) with eight years regular service in the grade. Deputation (including short term contract) Officers under the Central or State Government or Union territories or public sector undertaking or autonomous organizations- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in level-2 (Rs. 19900-63200) or equivalent; and (b) Possessing educational qualification or experience prescribed for direct recruitment under column (7).

		Note: 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. 2. The maximum age - limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the normal closing date of receipt of application. 3. The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department shall not ordinarily exceed four years.
--	--	---

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) Director or in his absence, an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act - Chairman (ii) a nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member. Selection Committee consisting of – (i) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Chairman (ii) a nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member (iii) an expert to be co-opted, if necessary, by the Chairman of the Selection Committee – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Library Clerk	2* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level- 2 (Rs.19900- 63200)	Selection post

(6)	(7)	(8)
Not exceeding twenty seven years. (Relaxable for Government servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential: (i) 12th pass from recognised Board or University ; (ii) two years experience in the field of Library Science. Desirable: Knowledge of computer and Urdu language.	Age – No Education Qualification – Yes

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruit.	By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Library Attendant with three years regular services in the grade.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) Director or in his absence, an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act - Chairman (ii) a nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member. Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member; (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee – Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Lower Division Clerk	2* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Level-2 (Rs. 19900-63200)	Non-Selection

(6)	(7)	(8)
Not exceeding twenty seven years. (Relaxable for Government Servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in the accordance with instruction or orders issued by Central Government) Note: the crucial date for determining the age shall be the normal closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands and Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	Essential: (i) 12th pass or equivalent qualification from a recognised board or university or institution. (ii) A typing speed of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi. Desirable: (i) At least three month certificate course in computer operating.	Education qualification – Yes Age – No

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruit.	(i) 85% by direct recruitment (ii) 15% by promotion from amongst the staffs in the pay level-1 and who possess the educational qualification as prescribed for direct recruitment and have three years regular service in the grade.	Promotion: Staffs holding the posts in level-1 (Rs. 18000-56900) who possess the educational qualification as prescribed for direct recruitment and have three years regular service in the grade.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of – (i) Director or in his absence, an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Chairman (ii) a nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member Selection Committee consisting of – (i) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Chairman (ii) a nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member; (iii) an expert to be co-opted, if necessary, by the Chairman of the Selection Committee – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11. Library Attendant	6* (2022) * Subject to variation depending on workload	Not applicable	Pay level-1 (Rs.18000- 56900).	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Not exceeding twenty five years. (Relaxable for Government Servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	10 th pass form a recognised board	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Selection Committee consisting of – (i) a member to be nominated by the Board from amongst themselves – Chairman (ii) a nominee of the Government of India – Member (iii) an expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee – Member (iv) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Member Secretary.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12. Multi Tasking Staff	9* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Not applicable	Level-1 (Rs. 18000-56900).	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between eighteen and twenty five years. (Relaxable for Government Servant or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in the accordance with instruction or orders issued by Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahul and Spiti district and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep and Union territory of Ladakh).	10 th pass or equivalent from a recognised board.	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Selection Committee consisting of – (i) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act – Chairman (ii) A nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur – Member (iii) An expert to be co-opted, if necessary, by the Chairman of the Selection Committee – Member.	Not applicable.

[F. No. 26-4/2020-Lib]

UMA NANDURI, Jt. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला (कनिष्ठ अनुवादक), भर्ती नियम, 2017 की, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) ये नियम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अनर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	5* (2021) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्याधीन)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) सचिवीय	स्तर-6 (35400 रूपए-112400/-)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित रूप में होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा/ आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नात्कोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400रु.) के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं। टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिंदी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री; और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यलयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग। सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
वांछनीय अर्हता: लागू नहीं अनुभव: लागू नहीं			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमे लन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमे लन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (विचारपुष्टि हेतु) जिसमें शामिल हैं: विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला -अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षणशाला -सदस्य 3. वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'घ', राष्ट्रीय परीक्षणशाला -सदस्य	संघ लोक सेवा से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/03/2011-एनटीएच (स्था.)]

परमजीत सिंह ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 16th August, 2022

G.S.R. 111.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Test House (Junior Translator) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the National Test House, Kolkata, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Test House (Junior Translator) Recruitment Rules, 2022.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. – The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. —Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator.	5* (2022) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400–Rs.112400/-)	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's degree in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level from a recognised University; or Master's degree in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level from a recognised University; or Master's degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level from a recognised University; or Master's degree in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level from a recognised University; or Master's degree in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from among the officials of the Central Government,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1. The Period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing

other as a compulsory or elective subject at the degree level from a recognised University; and Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and <i>vice versa</i> from any recognised institute or two years' experience of translation work from Hindi to English and <i>vice versa</i> in any Central Government or State Government Office, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			date of receipt of applications.
---	--	--	----------------------------------

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for consideration Confirmation) consisting of :- 1. Director General, National Test House – Chairperson 2. Director, National Test House – Member 3. Seniormost Scientist D, National Test House – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.A-12018/03/2011-NTH (Estt.)]

PARAMJIT SINGH THAKUR, Under Secy.